



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04042022-234815
CG-DL-E-04042022-234815

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 244]
No. 244]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 4, 2022/चैत्र 14, 1944
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 4, 2022/CHAITRA 14, 1944

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना
नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2022

सा.का.नि. 256(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 89क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आय कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है अर्थात्:—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (छठा संशोधन), नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- आयकर नियम, 1962 (जिसे इसके पश्चात मूल नियम के रूप में निर्दिष्ट) में, नियम 21कक के पश्चात निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"21ककक. अधिसूचित देश में बनाए गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय का कराधान - (1) जहां एक विनिर्दिष्ट व्यक्ति 1 अप्रैल 2022, को या उसके पश्चात आरंभ होने वाले किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए सुसंगत पिछले वर्ष के दौरान

एक विनिर्दिष्ट खाते या खातों में आय अर्जित की है, ऐसी आय विनिर्दिष्ट व्यक्ति के विकल्प पर उस निर्धारण वर्ष से संबंधित सुसंगत पूर्व वर्ष की उसकी कुल आय में सम्मिलित की जाएगी, यथास्थिति, अधिसूचित देश जिसमें उक्त विनिर्दिष्ट खाते या खाते से आय पर निकासी या उन्मोचन के समय कर लगाया जाता है।

(2) जहां उप-नियम (1) के अधीन एक विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा विकल्प का प्रयोग किया गया है, पूर्व वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट व्यक्ति की कुल आय जिसमें उप-नियम (1) के अधीन कर योग्य आय सम्मिलित नहीं होगी,—

- (क) पूर्व किसी भी वर्षों में ऐसे विनिर्दिष्ट व्यक्ति की कुल आय में पहले से ही सम्मिलित किया गया है जिसके दौरान ऐसी आय अर्जित की गई है और उस पर कर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार भुगतान किया गया है; या
- (ख) निम्नलिखित कारणों के मद्दे पूर्ववर्ष के दौरान उपगत आय भारत में कराधेय नहीं थी,—
 - (i) पूर्व वर्ष के दौरान धारा 6 के खंड (6) में निर्दिष्ट ऐसा विनिर्दिष्ट व्यक्ति, अनिवासी है या सामान्य रूप से निवासी नहीं है; या
 - (ii) दोहरे कराधान से बचाव समझौते का आवेदन, यदि कोई हो,

और ऐसी आय पर भुगतान किया गया विदेशी कर, यदि कोई हो, नियम 128 के अधीन विदेशी कर क्रेडिट की गणना के प्रयोजनों के लिए ध्यान नहीं दिया जाएगा।

(3) विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा बनाए गए सभी विनिर्दिष्ट खातों के संबंध में उप-नियम (1) के अधीन विकल्प का प्रयोग विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।

(4) ऐसे मामले में जहां विनिर्दिष्ट व्यक्ति किसी सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान अनिवासी बन जाता है, तो-

- (i) उप-नियम (1) के अधीन प्रयोग किए गए विकल्प को सुसंगत पूर्व वर्ष से कभी भी प्रयोग नहीं किया गया माना जाएगा; और
- (ii) ऐसी आय, जिसे पिछले वर्ष से आरंभ होने वाली अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट खाते या खातों में अर्जित किया गया है जिसके संबंध में उप-नियम (1) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया गया था और सुसंगत पूर्व वर्ष से तुरंत पहले पूर्व वर्ष के साथ समाप्त हुआ था, सुसंगत पूर्व वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती पूर्व वर्ष के दौरान कर योग्य होगा और सुसंगत पूर्व वर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख को या उससे पहले कर का भुगतान किया जाएगा।

(5) 1 अप्रैल, 2022 के दिन या उसके पश्चात शुरू होने वाले निर्धारण वर्ष से संबंधित किसी भी पूर्व वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा उप-नियम (1) के अधीन प्रयोग किए जाने का विकल्प प्ररूप संख्या 10-ड ड में होगा और यह आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट सम्यक तारीख या उससे पहले डिजिटल हस्ताक्षर या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के अधीन इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।

(6) उप-नियम (4) के उपबंधों के अध्याधीन, प्ररूप संख्या 10-ड ड में उप-नियम (1) के अधीन पूर्व वर्ष के बाबत एक विनिर्दिष्ट खाते या खातों के लिए एक बार प्रयोग किया गया विकल्प सभी पश्चातवर्ती पूर्व वर्षों पर लागू होगा और जिस पश्चातवर्ती पूर्ववर्ष के लिए विकल्प प्रयोग किया गया है, उस पूर्ववर्ष और उसके पश्चात् पूर्ववर्ष के लिए वापस नहीं लिया जाएगा।

(7) यथास्थिति, प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) डाटा के सुरक्षित अभिग्रहण और पारेषण को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं, प्रारूपों और मानकों को विनिर्दिष्ट करेगा और प्ररूप संख्या 10-ड ड के संबंध में उपयुक्त सुरक्षा, अभिलेखीय और पुनः प्राप्ति नीतियों को विकसित करने और लागू करने के लिए उत्तरदाई होगा।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-

- (i) "सम्यक तारीख" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 2 में दिया गया है;
- (ii) "अधिसूचित देश", "विनिर्दिष्ट खाता" और "विनिर्दिष्ट व्यक्ति" का अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम की धारा 89क के स्पष्टीकरण में दिया गया है;
- (iii) "सुसंगत पूर्व वर्ष" से उस पूर्व वर्ष से होगा जिसके दौरान विनिर्दिष्ट व्यक्ति पूर्व वर्ष के बाद अनिवासी हो जाता है जिसके संबंध में उप-नियम (1) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया गया है।

3. मूल नियमों में परिशिष्ट-II में, प्ररूप संख्या 10 ड के पश्चात निम्नलिखित प्रपत्र अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"प्ररूप संख्या 10-डड"

[नियम 21ककक का उप-नियम (1) देखें]

क्र.सं.					
1.	विनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम :				
2.	विनिर्दिष्ट व्यक्ति का पैन :				
3.	विनिर्दिष्ट व्यक्ति का पता :				
4.	पूर्व वर्ष जिसके संबंध में विकल्प का प्रयोग किया जा रहा है : वववव वववव				
5.	विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा बनाए गए सभी विनिर्दिष्ट खातों का विवरण				
क्र.सं.	खाता संख्या	सेवानिवृत्ति निधि का नाम	अधिसूचित देश का नाम <ड्रॉप डाउन से चुनें>	पूर्व वर्ष से पहले वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन की शेष राशि जिसके लिए यह प्ररूप भरा जा रहा है	वर्ष जिसमें खाता खोला गया<दिदि.मामा.व ववव>
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
विनिर्दिष्ट करें कि अधिसूचित देश में विनिर्दिष्ट खाते से आय कैसे कर योग्य है (\$) <सुसंगत कोड चुनें>		पिछले वर्ष को विनिर्दिष्ट करें जिसमें विनिर्दिष्ट खाते से आय आहरण के योग्य है (वववव - वववव)	आय की प्रकृति (\$\$) <सुसंगत कोड चुनें>	विनिर्दिष्ट खाते से आय की राशि जो पहले से ही किसी पिछले वर्ष की आय में सम्मिलित की जा चुकी है, जिसके दौरान उप-नियम (2) के खंड (क) में संदर्भित ऐसी आय अर्जित की गई है। (रुपए में)	
(vii)	(viii)	(ix)	(x)		
	पिछले वर्ष या वर्षों को	विनिर्दिष्ट खाते से आय की	पिछले वर्ष या वर्षों को	क्या स्तंभ (xii) में	

विनिर्दिष्ट करें जिसमें स्तंभ (x) में निर्दिष्टराशि को सम्मिलित किया गया है (वववव - वववव)	राशि जो नियम 21कक के उप-नियम (2) (रूप में) के निर्दिष्ट खंड (ख) के कारण भारत में कर योग्य नहीं थी	विनिर्दिष्ट करें जिसमें विनिर्दिष्ट व्यक्ति के "अनिवासी" या "सामान्य रूप से निवासी नहीं" होने के कारण स्तंभ (xii) में विनिर्दिष्ट राशि छूट है। (वववव - वववव)	निर्दिष्ट पिछले वर्ष की आय की विवरणी भारत में प्रस्तुत की गई थी? हाँ नहीं (यदि हाँ, तो कृपया पावती संख्या उद्धृत करें)
(xi)	(xii)	(xiii)	(xiv)

6.	प्रयोग किए जा रहे विकल्प के ब्यौरे—	
	पैरा 5 में यथाविनिर्दिष्ट, विनिर्दिष्ट लेखाओं में अर्जित आय, उस पूर्ववर्ष के लिए कुल आय में सम्मिलित की जाएगी, जिसमें उक्त विनिर्दिष्ट लेखा से आय प्रत्याहरण या मोचन के समय पर अधिसूचित देश में कर लगाया गया है या कर योग्य किया गया है।	: हाँ/नहीं

घोषणा

मैं (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम), सुपुत्र/सुपुत्री/धर्मपत्नी श्री यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर प्ररूप में जो भी कथन किया गया है, वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि मैं यह घोषणा करने और कथन प्रस्तुत करने में सक्षम हूँ।

2. मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने पैरा 5 में उल्लिखित सभी विनिर्दिष्ट लेखाओं के लिए पैरा 6 के अनुसार विकल्प का प्रयोग किया है।

3. मैं समझता हूँ कि उपरोक्त विकल्प, किसी पूर्ववर्ष के लिए एक बार प्रयोग किया जाने पर, जिस पश्चात् पूर्व वर्ष के लिए विकल्प प्रयोग किया गया है, उस पूर्ववर्ष और उसके पश्चात् पूर्ववर्ष के लिए वापस नहीं लिया जाएगा।

स्थान :

तारीख :

भवदीय

नाम

पता

टिप्पण :—

(i) पैरा 4 में यथाविनिर्दिष्ट, पूर्ववर्ष के संबंध में एक बार प्रयोग किया गया विकल्प, नियम 21कक के उपनियम (6) के अधीन सभी पश्चात्पूर्व वर्षों के संबंध में लागू होगा।

(ii) (\$) पैरा 5 में स्तंभ (vii) के लिए निम्नलिखित संकेत का चयन करें :—

संकेत	
1.	उपार्जित आधार
2.	प्राप्ति आधार

3	कोई अन्य आधार, विनिर्दिष्ट करें
---	---------------------------------

(iii) (\$\$) पैरा 5 में स्तंभ (ix) के लिए निम्नलिखित संकेत का चयन करें :

संकेत	
1.	वेतन
2.	ब्याज
3.	लाभांश
4.	अन्य, विनिर्दिष्ट करें

(iv) कृपया साक्ष्य के रूप में विनिर्दिष्ट लेखा के कथन की प्रति संलग्न करें,--

(क) सभी विनिर्दिष्ट लेखाओं की लेखा संख्या;

(ख) अधिसूचित देश, जिसमें ऐसा लेखा खोला गया है; और

(ग) उस पूर्ववर्ष से, जिसमें विद्यमान प्ररूप 10डड प्रस्तुत किया गया है, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को विनिर्दिष्ट लेखा में अतिशेष।

(v) कृपया यह दर्शाने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करें कि विनिर्दिष्ट लेखा से आय पर अधिसूचित देश में कैसे कर लगाया गया है या आय कैसे कर योग्य है (अधिसूचित देश के सुसंगत कानूनी उपबंध या कोई अन्य सुसंगत दस्तावेज संलग्न किए जा सकते हैं)।

(vi) कृपया सभी पूर्ववर्षों के लिए आय की संगणना संलग्न करें [पैरा 5 के स्तंभ (x) के अनुसार] जिसमें विनिर्दिष्ट लेखा से आय कुल आय में पहले से ही सम्मिलित की गई है। संगणना का उक्त पूर्ववर्ष के लिए आय की विवरणी के साथ समाधान किया जाएगा। प्ररूप के साथ आय की संगणना का समाधान विवरण [पैरा 5 के स्तंभ (x) के अनुसार] प्रस्तुत करना है।

[अधिसूचना संख्यांक 24/2022/ फा. सं. 370142/7/2022-टीपीएल]

नेहा सहाय, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969, तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 252 तारीख 1 अप्रैल 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।